कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ

पत्रांक / 10858 /2024-25

दिनांक 03-08-2024

प्रबन्धक. जी0डी0 गोयनका पब्लिक स्कूल मथुरा रोड अलीगढ

महोदय.

शासनादेश संख्या 419 / 79-6-2013-18(20) / 91 दिनांक 08 मई 2013 में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्रांक/बे0मान्यता/28282/2017—18 दिनांक 28. 02.2018 द्वारा जी0डी0 गोयनका पब्लिक स्कूल मथुरा रोड अलीगढ को कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक (अग्रेजी माध्यम) की अस्थायी मान्यता प्रदान की गयी थी।

शासनादेश संख्या 419 / 79—6—2013—18(20) /*91 दिनांक 08 मई 2013 के प्रस्तर

15 में निम्नवर्त् व्यवस्था प्रदान की गयी थी :--

"15— प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानो के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नही होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी 者i"

तद्नुसार अवगत होना चाहें।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

अलीगढ ।